

प्रेषक,

श्रीमती मंजुलिका गौतम,  
प्रमुख सचिवी, श्रम  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

श्री अनिल अंतारी,  
प्रभासुवता, 3090,  
कानपुर ।

श्रम अनुभाग-4

लखनऊ: (दिनांक: 16 सितम्बर, 2000)

विषय:- श्रम हितकारी संवर्ग को "मृत संवर्ग" घोषित किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आदेशात्मकीय पत्र संख्या-102/ज0प्र0प्रि0-98, दिनांक 20 नवम्बर, 1998 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा श्रम हितकारी संवर्ग को "मृत संवर्ग" घोषित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से किराये के भवनों में संवाहित निम्न 32 श्रम हितकारी केन्द्रों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है :-

- 1- गवालदोली, कानपुर 2-जूही पुरानी कानपुर 3- जाजमउरखका-मु
- 4-जरीब चौकी, कानपुर 5-गुस्ताहायगंज, कानपुर 6-कर्नेलगंज, कानपुर 7-जोगराज स्ट
- परखाबाद 8-शिथिल लाइन्स, उन्नाव 9-सण्डीला, हरदोई 10-सीतापुर संजयनगर
- 11-भदोही, बाराणसी 12-पडरुना 13-खलीलाबाद, बस्ती 14-राधवनगर, देव
- 15-नरसिंहपुर, गोरखपुर 16-सरैया भुगर मिल, सरदारनगर 17-गांधीनगर, बस्ती
- 18-बिन्दकी रोड, पत्तेहपुर 19-शारदा रोड, शिवशंकरपुरी, मेरठ 20-जौनपुर आ
- 21-अक्षिनेश 22- देहरादून रोड 22-नुनिहाई, आगरा 23-एम0एल0रोड, आगरा
- 24-डीड रोड, कच्चीसड़क मथुरा 25-बराई स्ट्रीट, अलीगढ़ 26-प्रीमियर नगर, अली
- 27-विकास नगर, देहरादून 28-कोटधार गढ़वाल 29-शामली, गुजपहरनगर
- 30-हरिद्वार 31-सतीशनगर, झांसी 32- मऊ

2- उपर 32 श्रम हितकारी केन्द्रोंमें वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कार्यवाहियों को अवशेष श्रम हितकारी केन्द्रों में रिक्त पदों के विस्तृत समाप्तोपित के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर पूरा कार्यवाही से शासन अयोग्य कराने का कष्ट करें ।

3- उपर कार्यवाही पूर्ण कर लेने के पश्चात् निःशुल्क / टान के भवनों में श्रमिक बस्तियों में संवाहित निम्नलिखित कुल 191 श्रम हितकारी केन्द्रों को

समाप्त शिवा जययोग तथा 19 शम 'द्वितीय' केन्द्रों में शिवा जययोग (Kalyan) / कल्याणों को अवशेष शम 'द्वितीय' केन्द्रों में अवशेष शिवा के माध्यम से।

शिवा जययोग :-

- 1-राजमोहन, पंचम गुरा 'दिन, देवदेव, गोरखपुर 2- पंचम गुरा परसि
- कानपुर 3- राजा का राजमपुर, गुरादावाट 4- कामपुर 'द्वितीय' 5-दुर्गा विना-
- विनाशय पन्तनगर 6-अयोध्या, भिजापुर 7-हाथरस, आगरा 8-भिकोदावाट, आगरा
- 9-गण्डवा, इलाहाबाट 10-करोतावाग, इलाहाबाट 11-तालकटोरा, मथुरा
- 12-पनेई मैकडानरस, कानपुर 13-पुराना कानपुर 14-बासुरवा विनाश, कानपुर
- 15-बलोहर, आगरा 16-मोहददीपुर, गोरखपुर 17-दूरदावाट, रायबरेली
- 18-पुराना रेशवाग, मथनऊ 19-गोविन्दनगर क कानपुर

4- अवशेष 24 शम 'द्वितीय' केन्द्रों को उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शेषानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुसार एवं संबंधित शम 'द्वितीय' केन्द्र की उपयोगिता के आधार पर कार्मिकों को दूसरे शम 'द्वितीय' केन्द्रों में समाप्तोचित करने हुए शनि:शनि: समाप्त कर दिया जायेगा और इस प्रक्रिया में शेषानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के स्थान पर कोई नई भर्ती न करने हुए अवशेष कार्मिकों को समाप्तोन्न के माध्यम से अवशेष रखने वाले केन्द्रों में समाप्तोचित शिवा जययोग ।

5- इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से शेषानिवृत्त शेषानिवृत्त के अन्तर्गत शम 'द्वितीय' संघों में कोई नई भर्ती समाप्तोन्न नहीं की जायेगी ।

सूचना उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से पधारण्य शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

अधीन  
R. S. ...  
1 अनुसूचित शिवा ।  
ग्राम शिवा ।

संख्या- 111/36-पाए-2000-53/90, मद्रास/...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही

के लिए :-

- 1- निजी सचिव, एकीकृत, वित्तीय प्रशासक
- 2- निजी सचिव, औद्योगिक विकास भाग
- 3- बाह्य पर्यवेक्षण

आज्ञा से

1 मधुकर सिंघेटी  
विशेष सचिव

कायलिय श्रम आयुक्त, 3090, पत्र पेट्टी संख्या-22b, कानपुर

पत्रांक 7559-78/स्था-2000 दिनांक 25-9-2000

प्रतिलिपि समस्त/अपर/उप श्रमायुक्तों को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कायलिय को अवगत कराने का कष्ट करें । इस कार्य को शीघ्र प्राथमिकता दें।